(कार्यालय कॉपी)

स्वीकृति पत्र

ऋण खाता संख्या:
आवेदन संख्या:
बी सी शाखा:

प्रिय महोदय / महोदया,

दिनांक : ....

बैंकिंग हेतु आरबीएल बैंक को चुनने के लिए धन्यवाद। आपके ऋण का विवरण इस पत्र के अनुसूची I में संलग्न फैक्टशीट में उपलब्ध है।

ऋणी का नाम		**पति/पिता का नाम**		**ग्राहक आईडी**	
समूह का नाम		**सेन्टर का नाम**		**मूल बचत बैंक जमा खाता संख्या**	

मैं, समूह की सदस्य होने के नाते, स्वीकार करती हूं और नीचे दिए गए सभी अन्य समूह सदस्यों की गारंटी लेती हूं:

क्र.सं.	**सदस्य का नाम**	**ऋण खाता संख्या**	**ऋण राशि**

ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु आपके आवेदन और आगे स्पष्टीकरण तथा पत्राचार के संदर्भ में, हमें फैक्टशीट में बताए अनुसार ऋण राशि की स्वीकृति की सूचना देते हुए प्रसन्नता हो रही हैं। आपके द्वारा देय किस्त ऋण दस्तावेज़ निष्पादन के समय अलग से दिए गए ऋण कार्ड में दी गई है। यह सुविधा ऋण आवेदन में दिए गए नियम और शर्तों तथा फैक्टशीट में बताए गए प्रभारों के भुगतान के अधीन है।

आपके अनुरोध पर और इस पत्र की तिथि तक निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर:

I. वह ऋण खाता किसी वित्तीय दबाव में नहीं है
II. मौजूदा ऋण खाता अतिदेय नहीं है;
III. मौजूदा ऋण अगले तीन महीनों में परिपक्व हो रहा है;
IV. वह ऋण स्वीकृति घरेलू स्तर पर क्रेडिट ब्यूरो की जांच के आधार पर है;

हम रुपये ___________ की बकाया राशि (ब्याज और अन्य प्रभारों के साथ) को ___________ (तारीख) तक ऋण खाता संख्या ___________ ("**मौजूदा ऋण**") में आपको दिए गए मौजूदा ऋण के तहत हमारे द्वारा आपके लिए स्वीकृत रुपये __________ के नए ऋण से समायोजित करने पर सहमत हुए हैं।

कृपया ध्यान दें कि आपकी ग्राहक आईडी हमारे साथ आपके सभी खातों के लिए विशिष्ट है। आपका खाता, आपके द्वारा चुने गए खाते के प्रकार के आधार पर आपको कई विशिष्ट सेवाएं प्रदान करता है।

हमारे उत्पादों और सेवाओं, नियमों और शर्तों और प्रभारों की अनुसूची के बारे में स्थानीय भाषा में जानकारी हमारी वेबसाइट https://rblbank.com/ पर उपलब्ध है।

आपके आरबीएल बचत खाते के लिए परिचालन का तरीका एकल है।

कृपया आरबीएल बैंक लिमिटेड के केवल अधिकृत व्यक्ति या बैंक द्वारा नियुक्त व्यवसाय संवाददाता के अधिकारियों को भुगतान करें।

भवदीय,

कृते आरबीएल बैंक लिमिटेड

Vijay Anandh
Head-Retail Assets
अधिकृत हस्ताक्षर

ऋणी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

ऋणी का नाम:..

(ग्राहक कॉपी)

स्वीकृति पत्र

ऋण खाता संख्या:
आवेदन संख्या:
बी सी शाखा:

प्रिय महोदय / महोदया,

दिनांक : ....

बैंकिंग हेतु आरबीएल बैंक को चुनने के लिए धन्यवाद। आपके ऋण का विवरण इस पत्र के अनुसूची I में संलग्न फैक्टशीट में उपलब्ध है।

ऋणी का नाम		**पति/पिता का नाम**		**ग्राहक आईडी**	
समूह का नाम		**सेन्टर का नाम**		**मूल बचत बैंक जमा खाता संख्या**	

मैं, समूह की सदस्य होने के नाते, स्वीकार करती हूं और नीचे दिए गए सभी अन्य समूह सदस्यों की गारंटी लेती हूं:

क्र.सं.	**सदस्य का नाम**	**ऋण खाता संख्या**	**ऋण राशि**

ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु आपके आवेदन और आगे स्पष्टीकरण तथा पत्राचार के संदर्भ में, हमें फैक्टशीट में बताए अनुसार ऋण राशि की स्वीकृति की सूचना देते हुए प्रसन्नता हो रही हैं। आपके द्वारा देय किस्त ऋण दस्तावेज़ निष्पादन के समय अलग से दिए गए ऋण कार्ड में दी गई है। यह सुविधा ऋण आवेदन में दिए गए नियम और शर्तो तथा फैक्टशीट में बताए गए प्रभारों के भुगतान के अधीन है।

आपके अनुरोध पर और इस पत्र की तिथि तक निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने पर:

I. वह ऋण खाता किसी वित्तीय दबाव में नहीं है
II. मौजूदा ऋण खाता अतिदेय नहीं है;
III. मौजूदा ऋण अगले तीन महीनों में परिपक्व हो रहा है;
IV. वह ऋण स्वीकृति घरेलू स्तर पर क्रेडिट ब्यूरो की जांच के आधार पर है;

हम रुपये ___________ की बकाया राशि (ब्याज और अन्य प्रभारों के साथ) को ___________ (तारीख) तक ऋण खाता संख्या ___________ ("**मौजूदा ऋण**") में आपको दिए गए मौजूदा ऋण के तहत हमारे द्वारा आपके लिए स्वीकृत रुपये __________ के नए ऋण से समायोजित करने पर सहमत हुए हैं।

कृपया ध्यान दें कि आपकी ग्राहक आईडी हमारे साथ आपके सभी खातों के लिए विशिष्ट है। आपका खाता, आपके द्वारा चुने गए खाते के प्रकार के आधार पर आपको कई विशिष्ट सेवाएं प्रदान करता है।

हमारे उत्पादों और सेवाओं, नियमों और शर्तों और प्रभारों की अनुसूची के बारे में स्थानीय भाषा में जानकारी हमारी वेबसाइट https://rblbank.com/ पर उपलब्ध है।

आपके आरबीएल बचत खाते के लिए परिचालन का तरीका एकल है।

कृपया आरबीएल बैंक लिमिटेड के केवल अधिकृत व्यक्ति या बैंक द्वारा नियुक्त व्यवसाय संवाददाता के अधिकारियों को भुगतान करें।

भवदीय,

कृते आरबीएल बैंक लिमिटेड

Vijay Anandh
Head-Retail Assets
अधिकृत हस्ताक्षर

ऋणी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

ऋणी का नाम:...

(कार्यालय कॉपी)

फैक्टशीट

क्रम संख्या	मापदंड	विवरण
1	ऋण राशि (रुपये में)	
2	ब्याज दर (स्थिर) (प्रतिशत में)	
3	ऋण अवधि (महीने में)	
4	पुनर्भुगतान आवृत्ति	
5	समान मासिक किस्त (ईएमआई) की संख्या	
6	* ईएमआई राशि	
7	ईएमआई देय तिथि	
8	परिशोधन अनुसूची / मूलधन और ब्याज का विवरण	उस पुनर्भुगतान अनुसूची में शामिल किया जाएगा जिसे ऋण वितरण के बाद साझा किया जाएगा और बैंक द्वारा समय-समय पर उधारकर्ता को सूचित किया जा सकता है।
9	ईएमआई शुरू होने की तिथि	
10	** पूरी ऋण अवधि के दौरान कुल ब्याज शुल्क (रुपये में)	
11	*** अन्य अग्रिम प्रभार (हर घटक का विवरण नीचे दिया गया है (रुपये में)	
11.i	ऋण प्रसंस्करण शुल्क	
11.ii	बीमा प्रीमियम	
11. iii	अस्पताल नकद प्रीमियम	
12	कुल संवितरण राशि (ऋण राशि - अन्य अग्रिम शुल्क) {पहले से बंद किसी भी प्रभार को छोड़कर} (रुपये में)	
13	भुगतान की जाने वाली कुल ऋण राशि (मूल राशि + ब्याज राशि + अग्रिम प्रभार) (रुपये में)	
14	प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में)	
आकस्मिक प्रभारों के बारे में विवरण		
15	ऋण के पूर्व भुगतान की स्थिति में दंडात्मक प्रभार	शून्य
16	भुगतान में देरी की स्थिति में दंडात्मक प्रभार	शून्य
17	अन्य प्रभार	शून्य

* संवितरण तिथि और पहली ईएमआई तिथि के आधार पर पहली ईएमआई की राशि अलग होगी। पहली ईएमआई के साथ प्री-ईएमआई ब्याज देय है।

*ऋण की अवधि के दौरान ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि/ विलंबित भुगतान के आधार पर आखरी ईएमआय की राशि बदलेगी।

** पहली ईएमआई तिथि और संवितरण तिथि के बीच अंतर होने के कारण कुल ब्याज प्रभार अलग होगा।

** लागू जीएसटी और अन्य कर लिए जाएंगे।

(ग्राहक कॉपी)

फैक्टशीट

क्रम संख्या	मापदंड	विवरण
1	ऋण राशि (रुपये में)	
2	ब्याज दर (स्थिर) (प्रतिशत में)	
3	ऋण अवधि (महीने में)	
4	पुनर्भुगतान आवृत्ति	
5	समान मासिक किस्त (ईएमआई) की संख्या	
6	* ईएमआई राशि	
7	ईएमआई देय तिथि	
8	परिशोधन अनुसूची / मूलधन और ब्याज का विवरण	उस पुनर्भुगतान अनुसूची में शामिल किया जाएगा जिसे ऋण वितरण के बाद साझा किया जाएगा और बैंक द्वारा समय-समय पर उधारकर्ता को सूचित किया जा सकता है।
9	ईएमआई शुरू होने की तिथि	
10	** पूरी ऋण अवधि के दौरान कुल ब्याज शुल्क (रुपये में)	
11	*** अन्य अग्रिम प्रभार (हर घटक का विवरण नीचे दिया गया है (रुपये में)	
11.i	ऋण प्रसंस्करण शुल्क	
11.ii	बीमा प्रीमियम	
11. iii	अस्पताल नकद प्रीमियम	
12	कुल संवितरण राशि (ऋण राशि - अन्य अग्रिम शुल्क) {पहले से बंद किसी भी प्रभार को छोड़कर} (रुपये में)	
13	भुगतान की जाने वाली कुल ऋण राशि (मूल राशि + ब्याज राशि + अग्रिम प्रभार) (रुपये में)	
14	प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में)	
आकस्मिक प्रभारों के बारे में विवरण		
15	ऋण के पूर्व भुगतान की स्थिति में दंडात्मक प्रभार	शून्य
16	भुगतान में देरी की स्थिति में दंडात्मक प्रभार	शून्य
17	अन्य प्रभार	शून्य

* संवितरण तिथि और पहली ईएमआई तिथि के आधार पर पहली ईएमआई की राशि अलग होगी। पहली ईएमआई के साथ प्री-ईएमआई ब्याज देय है।

*ऋण की अवधि के दौरान ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि/ विलंबित भुगतान के आधार पर आखरी ईएमआय की राशि बदलेगी।

** पहली ईएमआई तिथि और संवितरण तिथि के बीच अंतर होने के कारण कुल ब्याज प्रभार अलग होगा।

** लागू जीएसटी और अन्य कर लिए जाएंगे।

संयुक्त देयता समूह ("जेएलजी") के नियम और शर्तें

<u>शर्त विशिष्ट ऋण:</u>

1. मैंने/हमने आरबीएल बैंक लिमिटेड ("**बैंक**") से, संयुक्त देयता समूह ("**जेएलजी**") ऋण कार्यक्रम के तहत, क्रेडिट सुविधा ("ऋण") का लाभ उठाया था। मैं संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से देय ऋण के साथ-साथ ब्याज और अन्य शुल्कों/लागतों/खर्चों को चुकाने के लिए उत्तरदायी हूँ जिन्हें ऋण आवेदन और अन्य संबंधित दस्तावेज (सामूहिक रूप से "**ऋण दस्तावेज़**" के रूप में संदर्भित) दिया गया है। ऋण की न्यूनतम शेष राशि के आधार पर ब्याज लगाया जाएगा। शेष राशि घटाने के आधार पर ब्याज लगाया जाएगा।
2. ये नियम और शर्तें ऋण के संवितरण की तिथि से शुरू होंगी और समूह / **सेन्टर** के सभी ऋणी द्वारा पूरे ऋण का पुनर्भुगतान होने तक या बैंक द्वारा पहले ही समाप्त किए जाने तक प्रभावी रहेंगी।
3. ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाएगा जैसा कि आवेदन में बताया गया है और जिसके लिए इसे आरबीएल बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है। ऋणी ऋण का उपयोग किसी भी सट्टा उद्देश्य या ऋण आवेदन के साथ बताए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा।
4. ऋणी ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बैंक के साथ अनुबंध करता है और ऋणी द्वारा सभी देय तक अनुसूची I में बताए अनुसार हर वर्ष इस तरह के दर पर ऋणी द्वारा बैंक को देय होने वाली इस तरह की राशि का पुनर्भुगतान ऋणी द्वारा किया जाता है। सुविधा पर ब्याज सुविधा के पहले संवितरण की तिथि से लिया जाना शुरू हो जाएगा।
5. पहली किस्त संवितरण की तारीख और/ या अतिरिक्त ब्याज या किसी अन्य समायोजन, अगर कोई हो, के आधार पर भिन्न हो सकती है।
6. निर्धारित ब्याज दर बैंक की निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) में बदलाव के आधार पर या समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के आधार पर संशोधन के अधीन होगी और पुनः निर्धारित की जाएगी।
7. लागत, प्रभार, व्यय, प्रतिबंध प्रभार (अगर कोई हो) पर किसी भी ब्याज सहित सभी ब्याज और अन्य सभी प्रभार दैनिक आधार पर लिए जाएंगे और उसकी गणना 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों के वर्ष और बीते हुए वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाएगी।
8. ऋण का भुगतान समयपूर्वक करना और ऋण के नियमों और शर्तों का पालन करना ऋणी की जिम्मेदारी है। समयपूर्वक भुगतान ऋण का मूल तत्व है
9. ऋण का पूर्व भुगतान ऋणी द्वारा बिना किसी प्रभार या अतिरिक्त ब्याज के किया जा सकता है।
10. मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि बैंक मौजूदा ऋण और पुनर्भुगतान इतिहास सहित ऋण से संबंधित सभी जानकारी बैंक की किसी भी समूह कंपनी, अन्य बैंकों, क्रेडिट ब्यूरो, सेवा प्रदाताओं, वैधानिक और नियामक प्राधिकरणों के साथ साझा कर सकता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि सिबिल या इस प्रकार की अधिकृत कोई अन्य एजेंसी बैंक द्वारा खुलासा की गई उक्त जानकारी और डेटा का उस तरीके से उपयोग/संसाधित कर सकती है, जैसा उनके द्वारा उचित समझा जाए। CIBIL या इस प्रकार की अधिकृत कोई अन्य एजेंसी बैंकों, वित्तीय संस्थानों ("एफआई") या अन्य क्रेडिट ग्रांटर या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित जानकारी, डेटा और उत्पादों पर विचार करने के लिए प्रस्तुत कर सकती है, जैसा कि इस संबंध में आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
11. बैंक, ऋणी की साख के बारे में इस प्रकार की पूछताछ कर सकता है या करने का हकदार है जैसा कि बैंक उचित समझता है। इसके साथ ही बैंक, ऋणी की साख को प्रमाणित करने के लिए ऋणी से इस तरह के आवश्यक क्रेडेंशियल मांगने का हकदार होगा।
12. बैंक, स्वयं अपने और पूर्ण विवेक पर, दिए गए या दिए जाने वाले ऋण की सीमा को नवीनीकृत कर सकता है/बढ़ा सकता है। बैंक को यह अधिकार है कि वह किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन या उल्लंघन के मामले में, कोई नोटिस दिए बिना, किसी गैर अनुपालना/इसमें दी गई शर्तों और नियमों के उल्लंघन की अवस्था में और समय-समय पर बैंक को दिए गए संबंधित दस्तावेजों या किसी भी सूचना/ विवरणों के गलत पाए जाने पर या बैंक की राय में किसी भी कथन या स्थितियों के मामले में, अगर इस तरह की निरंतरता या संवितरण से पहले इसके हित प्रभावित होने की संभावना है तो बैंक के पास सुविधा को जारी न करने और किसी भी संवितरण को रोके रखने/रोकने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक का निर्णय अंतिम और ऋणी पर अनिवार्य होगा।
13. ऋणी बैंक और/या उसके प्रतिनिधियों के साथ परस्पर सहमति वाले निर्दिष्ट स्थान पर बैठकों/शिविरों में भाग लेंगे। अगर ऋणी लगातार दो या अधिक अवसरों पर **सेन्टर** में भाग नहीं ले पाती है, तो बैंक और /या उसके प्रतिनिधि ऋणी द्वारा बैंक को देय और भुगतान योग्य सभी बकाया राशियों को लेने के लिए ऋणी के निवास स्थान/कार्यस्थल पर जा सकते हैं।
14. इसके अलावा, ऋणी इस बात से सहमत है कि बैंक किसी भी समय और समय-समय पर ब्याज दर, अतिरिक्त ब्याज और/या ब्याज लेने की अवधि आदि को बदलने का हकदार होगा, जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है, इसके लिए वह इस जानकारी को बैंक की वेबसाइट (www.rblbank.com) पर या स्थानीय समाचार पत्रों में प्रदर्शित कर सकता है या बैंक अपने हिसाब से किसी अन्य संचार माध्यम से ऋणी को ऐसे बदलावों की सूचना दे सकता है और उसके बाद वह बदली गई दर पर ब्याज लेने का हकदार होगा/ऋण दस्तावेजों का भाग होने पर छोड़ने का हकदार होगा।

15. बैंक द्वारा तय बीमा पॉलिसी को सरेंडर करने की स्थिति में, मैं/हम बैंक को हमारे द्वारा नए ऋण खाते में देय भुगतान योग्य राशि के सरेंडर को लागू करने के लिए अधिकृत करते हैं।

16. डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, आरबीएल बैंक के पास किसी भी एक ऋणी द्वारा भुगतान न करने पर अन्य समूह / **सेन्टर** के सदस्यों से वसूली करने का अधिकार है।

17. निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति को 'डिफ़ॉल्ट की स्थिति' मानी जाएगी:

    a. अगर ऋणी यहां बताए गए निर्धारित समय पर और यहां निर्दिषित तरीके से या इससे जुड़े निष्पादित किसी भी दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार इस जेएलजी सुविधा के तहत मूलधन या ब्याज या किसी भी तरह की देय राशि का भुगतान नहीं कर पाता है;

    b. अगर ऋणी इस जेएलजी सुविधा के तहत किसी भी अन्य अनुबंध, शर्तों या समझौतों या ऋणी और बैंक के बीच किसी अन्य समझौते के प्रदर्शन में चूक करते हैं

    c. अगर ऋणी द्वारा ऋण के लिए बैंक को ऋण आवेदन में दी गई किसी भी जानकारी या किसी भी वर्णन को भ्रामक या गलत पाया जाता है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य/ जानकारी को छुपाया या नहीं बताया जाता है।

    d. अगर ऋणी वितीय कठिनाइयों के कारण या किसी भी चूक के विचार में सामान्य रूप से तय समय पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है या वे अपने लेनदारों के लाभ या उनके साथ संयोजन के लिए सामान्य कार्य करते हैं या इसे स्वीकार करते हैं या किसी भी देयता के भुगतान का आदेश दिया ज्ञ है और ऐसी देयता का भुगतान देय समय पीआर नहीं किया जाता है (बशर्ते कि किसी भी ऋणग्रस्तता के लिए इस उप-खंड में किसी भी संदर्भ पर संदेह से बचने के लिए ऐसी किसी भी ऋणग्रस्तता को शामिल नहीं किया जाएगा जो विवादित हो और जिसके संबंध में ऋणी के खिलाफ इस तरह की ऋणग्रस्तता का भुगतान करने के लिए कोई अदालती आदेश न हो);

    e. ऋणी द्वारा दी गई किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति को ऋणी पर देय होने और कहे जाने पर नहीं छोड़ा जाता है;

    f. अगर ऋणी बैंक द्वारा आवश्यक जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर पाता है।

    g. अगर ऋणी उस व्यवसाय को चलाना बंद कर देता है या बंद करने की धमकी देता है जो उसने बताई गई तिथि पर किया था;

    h. अगर ऋणी कोई कार्रवाई करता है या कोई कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती है या इनके लिए अन्य कदम उठाए जाते हैं: (i) ऋणी पर निर्णय लिया जाना है या उसे दिवालिया या ऋण चुकाने में असमर्थ पाया जाता है, या (ii) ऋणी या उसके उपक्रम, एसेट और संपत्ति के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए परिसमापक, व्यवस्थापक, ट्रस्टी या प्राप्तकर्ता या इसी तरह के अधिकारी की नियुक्ति की जाती है;

    i. अगर ऋणी इस ऋण का परित्याग करता है या इस ऋण का परित्याग करने के इरादे का सबूत देने वाला कोई कार्य करता है या करने का कारण बनता है;

    j. अगर कोई ऐसी घटना होती है जो बैंक की राय में बैंक के हित के लिए प्रतिकूल है या बैंक की एकमात्र राय में ऋणी की वितीय स्थिति या इस ऋण के तहत उसके सभी या किसी भी दायित्वों को पूरा करने और इस जेएलजी की किसी भी शर्त का पालन करने की उसकी क्षमता भौतिक रूप से प्रभावित होने की संभावना है।

    k. अगर ऋणी ऋण स्वीकृत किए जाने के उद्देश्य को छोड़कर ऋण या उसके किसी भाग का दुरूपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है।

    l. अगर इस जेएलजी के साक्ष्य या इसमें शामिल इसके दायित्वों के लिए ऋणी के प्रदर्शन के निष्पादन, वितरण, वैधता, प्रवर्तनीयता या स्वीकार्यता के संबंध में ऋणी द्वारा आवश्यक किसी भी सहमति, प्राधिकरण, अनुमोदन या लाइसेंस या पंजीकरण या सरकारी या सार्वजनिक पंजीकरण के साथ घोषणा या सरकारी या सार्वजनिक निकायों या प्राधिकरणों के लिए घोषणा को बैंक में अस्वीकार्य तरीके से संशोधित किया जाता है या इन्हें नहीं दिया जाता है या निरस्त किया जाता है या समाप्त किया जाता है या इसकी समय-सीमा समाप्त हो जाती है।

18. अगर यहां ऊपर निर्दिष्ट एक या अधिक स्थितियां हुई हैं, तो बैंक ऋणी को लिखित सूचना देकर मूलधन और ऋण पर सभी अर्जित ब्याज की घोषणा कर सकता है जो ऋणी द्वारा इस जेएलजी लेंडिंग की शर्तों के तहत या अनुसार देय हो सकता है और/या किसी अन्य समझौते, दस्तावेज, ऋणी और बैंक के बीच संविदा के साथ-साथ अन्य सभी प्रभार और देय राशि और इस तरह की घोषणा पर वे देय और भुगतान योग्य हो जाएंगे और ये हर स्थिति में लागू करने योग्य होंगे।

19. बैंक ऋण के संबंध में किसी भी अन्य शुल्क या लागत या ऋण के संबंध में बैंक द्वारा किए गए दावों की वसूली के लिए भी हकदार होगा, जिसमें ऋण दस्तावेजों के निष्पादन और मुहर लगाने या ऋण के अनुसार सुरक्षा निर्माण शामिल है।

20. ऋणी, बैंक के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को किसी भी नुकसान, लागत, शुल्क या व्यय का भुगतान करेगा और प्रतिपूर्ति करेगा, जिसे बैंक ऋण के संबंध में चूक या किसी और तरह की घटना के परिणामस्वरूप बनाए रखने या लेने के रूप में प्रमाणित करेगा।

21. ऋणी बैंक को किसी भी ऐसी घटना के होने की सूचना देता रहेगा जिससे उसके व्यवसाय या लाभ पर पर्याप्त प्रभाव पड़ने की संभावना हो। उदाहरण के लिए, अगर मासिक आय बैंक को बताई गई आय से बहुत कम है, तो ऋणी स्पष्टीकरण और उठाए जाने वाले प्रस्तावित सुधारात्मक कदमों के साथ बैंक को सूचित करेगा।

22. यह कि ऋणी ने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय सभी सार्वजनिक-मांगों, जैसे कि आयकर और अन्य सभी करों और राजस्व का भुगतान किया है और वर्तमान में ऐसे करों या देय राजस्वों का बकाया और कोई और बकाया नहीं है।

23. ऋणी इस बात से सहमत है और समझता है कि ऋणी क्रेडिट जीवन बीमा के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान करेगा, जिससे ऋणी और उसके जीवनसाथी को बीमा पॉलिसी की अवधि तक बीमा कवर मिलेगा। मृत्यु जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में, बीमा पॉलिसी की दावा समायोजित राशि सीधे ऋण खाते में जमा की जाएगी। ऋण समायोजन के बाद किसी भी शेष राशि का भुगतान मेरे/हमारे नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा।

24. मैं/हम इसके द्वारा स्वाकार करते हैं कि खाता खोलने के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण करेंगे और इसे स्वीकृति पत्र के अनुमोदन हेतु पावती के रूप में माना जाएगा और तदनुसार ई-प्रमाणीकरण की तारीख और समय की मुहर को मंजूरी पत्र में शामिल कर लिया जाएगा।

25. उपरोक्त सभी नियम और शर्तें को मुझे, मेरे द्वारा समझी जाने वाली भाषा में समझा दिया गया ।

26. आपके द्वारा देय किश्त ऋण कार्ड में बताई गई है। यह सुविधा ऋण आवेदन में बताए गए नियमों और शर्तों और आपके द्वारा निम्नलिखित शुल्कों के भुगतान के अधीन है।

27. ऋणी ऐसे सभी अधिरोपण, शुल्क और कर (ब्याज, स्टांप शुल्क और अन्य करों, अगर कोई हो, सहित) का वहन करेगा जिसे समय-समय पर ऋण के अनुसार या इसके संबंध में किसी भी सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा कानून की स्वीकृति के साथ लगाया जा सकता है। ऋण के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी आकस्मिक व्यय जैसे स्टाम्प शुल्क, बीमा प्रीमियम, संग्रह/वसूली शुल्क, वकील शुल्क और अन्य शुल्क (अगर कोई हो) को ऋणी द्वारा वहन किया जाएगा।
28. ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय, ऋणी को बिना किसी पूर्व सूचना के, बैंक अपने विवेकाधिकार से ऋण को रद्द कर सकता है और किसी भी संवितरण को रोक/बंद कर सकता है। बैंक ऋणी को लिखित में नोटिस देकर और ऋण की शर्तों के तहत उपलब्ध अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणी को सुविधा के संबंध में सभी ऋणी की बकाया राशि का भुगतान करने और/या सेटऑफ़ के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए कह सकता है। नियम और शर्तों के सभी प्रावधान पूरी तरह से लागू और प्रभावी बने रहेंगे जैसा कि यहां विशेष रूप से आवश्यक बदलावों के साथ बताया गया है जब तक कि ऋणी द्वारा सभी देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।
29. ऋण भारतीय कानूनों और शहर के न्यायालयों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा, इसका विशेष अधिकार क्षेत्र वह होगा जहां बैंक ऋण खाता बनाए रखता है और/या जहां ऋण वितरित किया गया है। उपरोक्त के बावजूद, बैंक किसी अन्य शहर में किसी अन्य न्यायालय, फोरम या अधिकरण में कार्यवाही शुरू करने/फाइल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो मामले पर भी अधिकार क्षेत्र में हो सकता है और ऋणी बैंक के इस अधिकार के लिए सहमति देता है।
30. इसके तहत किसी भी नोटिस, मांग, कथन या संचार (किसी भी रूप में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक) पर बैंक के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित किए जाएंगे और डिलीवरी की तारीख या ऋणी के अंतिम ज्ञात पते पर वितरित करने के प्रयास पर प्रभावी होंगे।
31. मैंने/हमने आरबीएल बैंक में बचत बैंक खाता खोला है। मैंने/हमने बैंक पासबुक जारी करने का विकल्प चुना है और पासबुक अपडेट के बदले बीसी शाखाओं में अद्यतित खाता विवरण प्राप्त करने के लिए सहमत हैं। बैंक ऐसा खाता विवरण जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा।
32. एचडीएफसी लाइफ की स्थिति में, संलग्न सीओआई जोखिम प्रारंभ तिथि और ऋण वितरण तिथि के रूप में प्रभावी तिथि के साथ समूह जीवन सुरक्षा के बीमा कवर के लिए है।
33. <u>आईआरएसीपी मानदंडों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न</u>
    a. 'देय' शब्द का क्या अर्थ है?
    'देय' शब्द का अर्थ है, मूलधन/ब्याज/ऋण खाते पर लगाया गया कोई शुल्क जो क्रेडिट सुविधा की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर देय है।

    b. 'अतिदेय' शब्द का क्या अर्थ है?
    'अतिदेय' का अर्थ है मूलधन/ब्याज/ ऋण खाते पर लगाया गया कोई भी शुल्क जो देय है, लेकिन क्रेडिट सुविधा की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि पर या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया है।

    c. ऋण देने वाली संस्था के साथ ऋण के संदर्भ में 'अतिदेय' क्या है?
    किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत ऋण देने वाली संस्था को कोई भी देय राशि 'अतिदेय' तब है जब इसका भुगतान ऋण देने वाली संस्था द्वारा निर्धारित नियत तारीख को या उससे पहले नहीं किया जाता है।

    d. स्ट्रेस्ड (परेशानी वाला) खाता क्या है?
    ऋणी के लिए ऋण लेने से पहले सहमत शर्तों के अनुसार आवधिक अंतराल पर ईएमआई/किस्त/ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। अगर ऐसी ईएमआई/किस्त/ब्याज बकाया का भुगतान नियत तारीख को या उससे पहले सहमत शर्तों पर नहीं किया जाता है, तो ऐसे खाते को 'स्ट्रेस्ड (परेशानी वाला) खाता' कहा जाता है।

    e. विशेष उल्लेखित खाता (एसएमए) क्या है?
    देय भुगतान में चूक के सबूत के रूप में परेशानी के लक्षण दिखाने वाले ऋण खाते को 'विशेष उल्लेखित खाता (एसएमए)' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अगर ऐसे खाते 90 दिनों के भीतर नियमित नहीं किए जाते हैं, तो उन्हें 'गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए)' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

    f. एसएमए को कैसे वर्गीकृत किया जाता है?
    एसएमए को निम्नलिखित उप-श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

एसएमए / एनपीए श्रेणियाँ	वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज का भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय।
एसएमए-0	30 दिनों तक
एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
एनपीए	90 दिनों से अधिक

g. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां क्या हैं?

किसी ऋण सुविधा/सुविधाओं में जहां नीचे बताए अनुसार परेशानी/दोष/कमियां पाई जाती हैं, ऐसे उधार खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

i. सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

h. एसएमए-0, एसएमए-1, एसएमए-2 और एनपीए के रूप में ऋण के वर्गीकरण के लिए उदाहरण दें:

i. उन खातों के संबंध में जहां ईएमआई/किस्तें देय हैं:

उदाहरण*: अगर ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2022 है और ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2022 होगी और खाते को 31.03.2022 तक एसएमए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अगर यह अतिदेय बना रहता है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 2022 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा। इस हिसाब से, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2022 होगी। इसी तरह, अगर खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2022 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा और अगर आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून, 2022 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।*

i. उधार देने वाली संस्थाएं किस अवधि में खातों का एसएमए या एनपीए के रूप में वर्गीकरण करती हैं?

उधार देने वाली संस्थाएं दिन के अंत की प्रक्रिया के दौरान दैनिक आधार पर खातों को एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया अपनाती हैं।

j. क्या ऋणी के सभी ऋण खातों को एनपीए के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब उसका कोई ऋण खाता एनपीए हो जाता है?

हां, एनपीए वर्गीकरण ऋणी के अनुसार है, न कि खाते के अनुसार। इसलिए, अगर ऋणी के ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ऋणी के अन्य सभी ऋण खातों को भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

k. क्या एनपीए अंकन प्रक्रिया के दौरान दिनों में भुगतान/जमा की गई राशि पर विचार किया जाता है?

दिन के अंत की प्रक्रिया से पहले प्राप्त क्रेडिट को परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रक्रिया शुरू करते समय दोष की गणना के लिए माना जाता है। बाद में प्राप्त किसी भी क्रेडिट को बाद के दिन के लिए प्राप्ति के रूप में माना जाता है।

l. एनपीए के रूप में वर्गीकृत होने के बाद ऋणी के खातों को नियमित स्थिति में कैसे अपग्रेड किया जाता है?

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खाते को मानक परिसंपत्ति के रूप में केवल तभी अपग्रेड किया जाएगा जब ऋणी के सभी ऋण खातों का नियमितीकरण हो जाता है और ऋणी के खाते की समीक्षा/नवीकरण और स्टॉक और बुक ऋण से संबंधित सहायक अनियमितताओं में सुधार होता है।

m. अगर खाता स्ट्रेस/एनपीए में चला जाता है, तो ऋणी पर क्या प्रभाव पड़ता है?

नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को समय-समय पर बड़े ऋणों की केंद्रीय रिपोजिटरी सूचना (सीआरआईएलसी), क्रेडिट सूचना कंपनियों आदि को स्ट्रेस/डिफ़ॉल्ट/एनपीए की रिपोर्ट करनी होती है जो ऋणी के क्रेडिट इतिहास और सहायक परिणामों को प्रभावित करते हैं।

(ध्यान दें: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऊपर वर्णित उपभोक्ता शिक्षा की सामग्री केवल उदाहरण के लिए है और इसलिए आरबीआई द्वारा बताए गए आईआरएसीपी मानदंड और वर्गीकरण समय-समय पर कार्यान्वयन के लिए मान्य होंगे)

<u>आरबीएल बैंक की घोषणा:</u>

34. **आरबीएल बैंक** बकाया की वसूली के लिए वसूली एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। कर्मचारी के सभी सदस्यों या बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति को ऋणी के साथ अपने व्यवहार को नियंत्रित करने वाली उचित प्रक्रियाओं और आचार संहिता का पालन करना होगा। बैंक अपने कर्मचारियों और/या वसूली एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं के कर्मचारियों के अनुचित व्यवहार के लिए हर समय जवाबदेह होगा और ऋणी द्वारा की गई शिकायतों का समय पर निवारण करेगा।

<u>ई-केवाईसी के लिए विशिष्ट शर्तें:</u>

35. आधार डालने/लिंक करने के लिए सहमति: मैं/हम आरबीएल बैंक को अपने खाते से आधार को लिंक करने/जोड़ने करने के लिए अधिकृत करते हैं। मैं/हम अपना आधार नंबर सबमिट करते हैं और स्वेच्छा से इन पर अपनी सहमति देते हैं:
   - यूआईडीएआई से मुझे प्रमाणित करने के लिए मेरे/हमारे आधार विवरण का उपयोग करें।
   - मुझे एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए आवेदन पत्र में सबमिट किए गए मेरे/हमारे मोबाइल नंबर का उपयोग करें।
   - आधार नंबर को मेरे सभी मौजूदा/नए/भविष्य के खातों और अपने बैंक के ग्राहक प्रोफाइल (सीआईएफ) से लिंक करें।

मैं इसके द्वारा आरबीएल बैंक को अधिकृत करती हूं

मेरे ऋण संवितरण दस्तावेजों की पावती के लिए, यूआईडीएआई की आधार आधारित ईकेवाईसी सेवाओं के माध्यम से मेरी पहचान के प्रमाणीकरण के लिए, मेरे आधार/वर्चुअल आईडी विवरण का उपयोग करें।

मैं उपरोक्त नियमों और शर्तों से सहमत हूँ और स्वीकार करती हूं।

ऋणी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

ऋणी का नाम:...